दिनांक 03-10-2015 को जिलाधिकारी गढ़वाल की अध्यक्षता में आयोजित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम–2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2007 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थिति रही :–

1.	सर्व श्री चन्द्रशेखर भट्ट	जिलाधिकारी, गढ़वाल	अध्यक्ष।
2.	श्री एल0एस0 रावत,	प्रभागीय वनाधिकारी सि0 एवं सो0 वन प्रभाग पौड़ी	सदस्य।
3.	श्री रतन सिंह रावल,	जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी	सदस्य।
4.	श्री प्रकाश बुटोला	जिला पंचायत सदस्य, खिर्सू	सदस्य।

बताया गया है कि **जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकास खण्ड खिर्सू में गवाणा मोटर मार्ग के कि0मी0 4 से सुराड़ी गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण** हेतु वन भूमि का हस्तान्तरण होना प्रस्तावित है, जिनके प्रस्ताव प्राप्त किये गये है। उक्त मार्ग हेतु उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सभी कार्यवाही करते हुये निर्धारित प्रपत्र निर्गत किये गये है। मार्ग का विवरण निम्नवत है :–

1– **जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकास खण्ड खिर्सू में गवाणा मोटर मार्ग के कि0मी0 4 से सुराड़ी गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण :–** इस मोटर मार्ग का निर्माण पूर्व निर्मित रामपुर गवाणा मोटर मार्ग के ग्राम गवाणा नामक स्थान से आरम्भ होता है एवं ग्राम सुराड़ी की सीमा में समाप्त होता है। मार्ग की स्वीकृत लम्बाई 7.00 कि0मी0 है। किन्तु मोटर मार्ग की लम्बाई 6.125 कि0मी0 में सुराड़ी गावं तक पूर्ण हो रहा है। इस मार्ग में 2500.00 मी0 सिविल भूमि प्रभावित हो रही है। मोटर मार्ग निर्माण से प्रस्तावित भूमि पर कोई आदिवासी जनजाति एवं परम्परागत वनवासी प्रभावित नहीं हो रहे है। इस सम्बन्ध में उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अपनी संस्तुति दी गई है। उक्त मार्ग के निर्माण से ग्राम गवाणा, मंगलाकोटी, पोखरी एवं सुराड़ी की कुल 675 जनसंख्या लाभान्वित होगी। इन गांवों को जोड़ने हेतु कोई अन्य वैकल्पिक मार्ग नहीं है, और ना ही प्रस्तावित है।

छाया प्रति प्रमाणित
Baloni
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि
श्रीनगर (गढ़वाल)

निर्णय

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2007 के अन्तर्गत गठित उपखण्ड स्तरीय समिति से प्राप्त खिर्सू ब्लाक में जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकास खण्ड खिर्सू में गवाणा मोटर मार्ग के कि0मी0 4 से सुराड़ी गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु प्रस्तावित आरक्षित भूमि 2.250 हे0 लो0नि0वि0 को उपखण्ड स्तरीय समिति की संस्तुति के आधार पर जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक का समापन किया गया।

(चन्द्रशेखर भट्ट)
आई0ए0एस0
जिलाधिकारी गढ़वाल

जिलाधिकारी
गढ़वाल(पौड़ी)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 श्रीनगर

दिनांक 07/10/15

पत्रांक 2685 /28सी0

1. प्रतिलिपि जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, पौड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
श्रीनगर गढ़वाल

छाया प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
श्रीनगर (गढ़वाल)